भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 462

25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: फॉलआर्मी कीट द्वारा संक्रमण

462. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में फसलों की विभिन्न किस्मों पर 'फॉलआर्मी कीट/पेस्ट' संक्रमण को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान फॉलआर्मी कीट के कारण फसल नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आक्रमणकारी कृषि कीट के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रौद्योगिकीय समाधान और प्रबंधन पद्धतियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): जी हां, विभाग ने देश में फॉल आर्मी कीट (एफएडब्ल्यू) के संक्रमण पर ध्यान दिया है। यह संक्रमण प्राथमिक तौर पर मक्का पर और कुछ हद तक रबी सोरगम पर पाया गया है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान मक्का में फॉल आर्मी कीट (एफएडब्ल्यू) के कारण प्रभावित क्षेत्र का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) विभाग ने एफएडब्ल्यू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं हैं:

I. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मक्का की फसल में एफएडब्ल्यू के विरूद्ध एक विस्तृत पैकेज ऑफ प्रैक्टिस (पीओपी) तैयार किया है। पीओपी में, अन्य बातों के साथ-साथ एफएडब्ल्यू को नियंत्रित करने के लिए यांत्रिकी, कल्चरल, जैविकीय और रासायनिक उपाय शामिल हैं। पीओपी को सभी राज्यों में उसके कार्यान्वयन के लिए परिचालित किया गया है। राज्य कृषि विभाग को रोकथामपरक उपायों को अपनाने के लिए नियमित रूप से समय पर सलाह जारी की जा रही हैं।

II. सचिव (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) और सचिव (डेयर) की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया गया है जो स्थिति की समीक्षा करेगी और उपयुक्त कार्यनीतियों की सिफारिश करेगी। एचपीसी की सिफारिशों के आधार पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान राज्यों में विभिन्न उप-समितियों का भी गठन किया गया है जिनकी अध्यक्षता निदेशक/कृषि आयुक्त/संबंधित राज्य के प्रधान सचिव करते हैं।

III. राज्य कृषि विभाग, एसएयू और आईसीएआर आदि के सहयोग से केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएमसी) द्वारा नियमित सर्वेक्षण, निगरानी और मानिटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें उनको कल्चरल और कृषि पद्धतियों को अपनाने की सलाह दी गई थी।

IV. एफएडब्ल्यू के विरूद्ध कतिपय जैव-नियंत्रण एजेंट को प्रभावी पाए गए हैं। इन जैव-नियंत्रण एजेंटों की अधिक मात्रा में उत्पत्ति को बढावा दिया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं.462

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान फ़ॉलआर्मी कीट के कारण प्रभावित क्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**पिछले तीन वर्षों के दौरान फ़ॉलआर्मी कीट के कारण प्रभावित क्षेत्र का विवरण (हैक्टे. में क्षेत्र)**		
		2017-18	2018-19	2019-20 (मई, 2019 तक)
1.	छत्तीसगढ़	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान देश में फॉलआर्मी कीट की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।	1539	1007.74
2.	हिमाचल प्रदेश		-	-
3.	आंध्र प्रदेश		2538	-
4.	मध्य प्रदेश		-	110
5.	राजस्थान		-	-
6.	गुजरात		70	14
7.	कर्नाटक		211300	-
8.	उत्तर प्रदेश		-	2
9.	सिक्किम		-	376
10.	मिजोरम		-	1877.29
11.	मणिपुर		-	4341.64
12.	नागालैंड		-	4553.29
13.	मेघालय		-	40
14.	त्रिपुरा		-	7.08
15.	असम		-	27.65
16.	तेलंगाना		24288.40	-
17.	पश्चिम बंगाल		-	485
18.	अरुणाचल प्रदेश		-	250
19.	केरल		-	-
20.	तमिलनाडु		315	-
21.	ओडिशा		60	-
22.	उत्तराखंड		-	-
23.	पंजाब		-	-
24.	बिहार		-	-
25.	झारखंड		-	7.08
26.	महाराष्ट्र		5144	-
27.	जम्मू और कश्मीर		-	-
28.	हरियाणा		-	-
29.	गोवा		-	-

*****